भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 392
दिनांक 03 दिसम्बर 2025 / 12 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा राहत सहायता

392 श्रीमती किरण चौधरीः

डा. सुमेर सिंह सोलंकीः

श्री मोकरिया रामभाईः

श्री नरहरि अमीनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के अंतर्गत प्रदान की गई कुल सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान मानसून के मौसम के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) टीमों की कितनी संख्या तैनात की गई है; और

(घ) आपदा के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयारी, अंतर-संस्थागत समन्वय और क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए है। वर्ष 2025-26 के दौरान सभी राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी किए गए धन का विवरण अनुबंध-I में है। पिछले तीन वर्षों 2022-23 से 2024-25 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एनडीएमएफ)/राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के तहत आवंटित और जारी किए गए धन का विवरण क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में है।

(ग) एनडीआरएफ की पूरे भारत में 16 बटालियन और 28 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र (आरआरसी) तैनात हैं, इन स्थानों का विवरण अनुबंध-IV में है। उपरोक्त के अलावा, मानसून-2025 के दौरान, एनडीआरएफ ने किसी भी आकस्मिकता के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय में पूरे भारत में 105 टीमों को पहले से तैनात किया था, जिसका विवरण अनुबंध-V में है।

(घ): प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उचित तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित संस्थागत तंत्र हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने का प्रावधान करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) का शुभारंभ किया। सभी हितधारकों के परामर्श से वर्ष 2019 में इस योजना को संशोधित किया गया। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों, जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, तथा राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी) और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, जिला योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

इसके अलावा, एसडीआरफ/एनडीआरएफ के भीतर तत्काल प्रकृति की गतिविधियों को संबोधित करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा फंडिंग विंडो में विभाजित किया गया है। राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के वार्षिक आवंटन का 10% तैयारियों और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए रखा जाता है। इन गतिविधियों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार प्रशासित किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने तैयारियों और क्षमता निर्माण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, अप-स्केलिंग आपदा मित्र योजना, युवा आपदा मित्र योजना आदि जैसे कई कार्यक्रम/योजनाएं लागू की हैं।

यह मंत्रालय अंतर-एजेंसी समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए त्वरित बचाव और राहत कार्यों के लिए टीमों, उपकरणों और अन्य संसाधनों को जुटाने के लिए एनडीएमए, एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों, संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करता है।

******

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

<u>अनुबंध- **I**</u>

वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से आवंटित और जारी धन राशि का विवरण

20.11.2025 तक (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ धन राशि का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी धन राशि		एनडीआरएफ से जारी धन राशि		
		केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	प्राकृतिक आपदा	एम ऑफ फायर सर्विसेज	पीडीएनए (आर एंड आर)
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1088.00	361.60	1449.60	--	--	--	--	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	243.20	27.20	270.40	237.20 (115.60#+121.60)	--	--	34.536	--
3.	असम	751.20	83.20	834.40	375.60	--	49.85	--	--
4.	बिहार	1376.80	459.20	1836.00	688.40	--	--	76.704	--
5.	छत्तीसगढ	420.00	140.00	560.00	400.00#	--	--	--	--
6.	गोवा	11.20	4.00	15.20	5.60	--	--	--	--
7.	गुजरात	1287.20	428.80	1716.00	1854.00 (1210.40#+643.60)	--	--	76.239	--
8.	हरियाणा	477.60	159.20	636.80	238.80	--	--	26.241	--
9.	हिमाचल प्रदेश	397.60	44.00	441.60	198.80	198.80	107.15	23.52	451.44
10.	झारखंड	552.00	184.00	736.00	276.00	--	--	33.294	--
11.	कर्नाटक	768.80	256.00	1024.80	384.40	384.40	--	--	--
12.	केरल	306.40	101.60	408.00	153.20	--	--	36.32	78.17
13.	मध्य प्रदेश	1770.40	589.60	2360.00	885.20	--	--	89.145	--
14.	महाराष्ट्र	3132.80	1044.00	4176.80	1566.40	1566.40	--	138.09	--
15.	मणिपुर	40.80	4.80	45.60	29.20 (8.80#+20.40)	--	114.88	16.20	--
16.	मेघालय	64.00	7.20	71.20	60.00 #	--	--	--	--
17.	मिजोरम	45.60	4.80	50.40	22.80	--	--	--	--
18.	नागालैंड	40.00	4.80	44.80	20.00	20.00	--	14.42	--
19.	ओडिशा	1560.00	520.00	2080.00	780.00	--	--	--	--
20.	पंजाब	481.60	160.80	642.40	240.80	240.80	--	--	--
21.	राजस्थान	1440.00	480.00	1920.00	720.00	--	--	--	--
22.	सिक्किम	48.80	5.60	54.40	24.40	24.40	--	11.612	76.15 (59.86+16.29)
23.	तमिलनाडु	992.00	330.40	1322.40	496.00	--	522.34	--	--
24.	तेलंगाना	436.80	145.60	582.40	218.40	--	--	57.04	--
25.	त्रिपुरा	67.20	7.20	74.40	25.20	--	--	--	--
26.	उत्तर प्रदेश	1880.80	626.40	2507.20	1836.00 (895.60 #+940.40)	--	--	--	--
27.	उत्तराखंड	911.20	100.80	1012.00	455.60	455.60	--	--	291.15
28.	पश्चिम बंगाल	983.20	328.00	1311.20	491.60	--	--	--	--
	कुल -	**21575.20**	**6608.80**	**28184.00**	**12683.60**	**2890.40**	**794.22**	**633.361**	**896.91**

= पिछले वर्ष का बकाया शामिल है.

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

<u>अनुबंध- II</u>

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत जारी धनराशि का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एसडीआरएफ में केंद्र का हिस्सा जारी धन राशि			एनडीआरएफ से रिहाई (बाढ़/चक्रवात सहित सभी आपदाओं के लिए)		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1.	आंध्र प्रदेश	940.00	987.20	1036.00	--	--	56.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.40	220.80	115.60	--	--	--
3.	असम	648.80	680.80	716.00	250.00	--	29.02
4.	बिहार	1189.60	1248.80	1311.20	--	--	--
5.	छत्तीसगढ	181.60	181.60#	380.80#	--	--	33.24
6.	गोवा	9.60	9.60	10.40	--	--	31.50
7.	गुजरात	556.00	1140.00#	600.00#	--	--	--
8.	हरियाणा	412.80	433.60	455.20	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	342.40	360.80	378.40	214.26	787.25	84.56
10.	झारखंड	--	476.80#	1027.20#	--	--	--
11.	कर्नाटक	664.00	697.60	732.00	939.83	--	3528.45
12.	केरल	264.00	277.60	291.20	--	--	--
13.	मध्य प्रदेश	1528.80	1605.60	1686.40	--	--	--
14.	महाराष्ट्र	2706.40	2841.60	2984.00	--	--	--
15.	मणिपुर	35.20	18.80	50.00	--	--	12.15
16.	मेघालय	27.20	27.20#	59.60	--	--	11.98
17.	मिजोरम	39.20	41.60	43.20	--	--	18.36
18.	नागालैंड	34.40	36.80	38.40	107.31	--	181.81
19.	ओडिशा	1348.00	1415.20	1485.60	--	--	45.09
20.	पंजाब	416.00	436.80	458.40	--	--	29.60
21.	राजस्थान	1244.80	1307.20	1372.00	13.46	--	--
22.	सिक्किम	42.40	44.80	47.20	--	81.89	229.82
23.	तमिलनाडु	856.80	900.00	944.80	--	--	360.09
24.	तेलंगाना	188.80	584.80#	416.80	--	--	42.78
25.	त्रिपुरा	56.80	60.80	71.60	--	--	186.40
26.	उत्तर प्रदेश	812.00	1664.80#	1748.40#	--	--	172.95
27.	उत्तराखंड	787.20	826.40	434.00	--	--	21.30
28.	पश्चिम बंगाल	849.60	892.00	936.00	--	--	84.77
कुल		**16392.80**	**19419.60**	**19830.40**	**1524.86**	**869.14**	**5160.77**

पिछले वर्ष का एसडीआरएफ का बकाया भी शामिल है

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

<u>अनुबंध- III/पृ/1</u>

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत धन के आवंटन और जारी का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्र और राज्य के हिस्से सहित एसडीआरएफ के तहत धन राशि आवंटन			एसडीआरएफ में केंद्र का हिस्सा जारी धन राशि				एनडीआरएफ से रिलीज धन राशि	
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24#**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**
1.	आंध्र प्रदेश	313.20	328.80	345.20	--	--	740.80#	1136.00	--	50.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.401	61.40	64.20	--	-	52.60	1133.00#	1.833	--
3.	असम	180.20	189.20	198.80	--	162.20 #	----	---	--	--
4.	बिहार	396.60	416.20	437.00	148.70	304.80#	483.90#	1172.10	--	--
5.	छत्तीसगढ	121.00	127.00	133.40	--	90.80#	--	---	--	--
6.	गोवा	3.20	3.20	3.40	3.60 #	1.20#	5.00#	1.40	--	--
7.	गुजरात	370.60	389.20	408.80	403.80 #	139.00#	--	292.00#	73.17	--
8.	हरियाणा	137.60	144.40	151.60	149.80	--	105.80#	111.10#	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	95.20	100.20	105.00	42.80	42.80#	184.654#	49.70	--	9.45
10.	झारखंड	158.80	166.80	175.40	113.60	--	--	224.40#	--	--
11.	कर्नाटक	221.40	232.40	244.00	--	--	--	340.40#	71.616	50.00
12.	केरल	88.00	92.40	97.00	--	100.70#	71.10#	---	--	--
13.	मध्य प्रदेश	509.60	535.20	562.00	191.10	391.80#	411.50	432.10#	--	50.00

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

अनुबंध- III/पृ/2

14.	महाराष्ट्र	902.20	947.20	994.60	887.20 #	433.80#	710.40#	1137.60	225.00	50.00
15.	मणिपुर	9.80	10.40	11.00	--	--	--	--	--	---
16.	मेघालय	15.20	16.20	16.80	--	--	--	---	--	--
17.	मिजोरम	10.80	11.60	12.00	14.30	15.30#	10.80	--	--	--
18.	नागालैंड	9.60	10.20	10.60	4.30	13.50#	9.60	5.00	--	--
19.	ओडिशा	449.20	471.60	495.20	168.50	522.30#	371.40	195.00	--	50.00
20.	पंजाब	138.60	145.60	152.80	99.00 #	158.60#	11.90#	117.50#	--	--
21.	राजस्थान	414.80	435.60	457.20	155.60	482.40#	343.00	180.00	8.35	50.00
22.	सिक्किम	11.80	12.40	13.00	5.30	16.50#	11.80	6.10	114.75	13.50
23.	तमिलनाडु	285.60	300.00	315.00	311.10#	107.40#	461.20#	124.00	75.00	50.00
24.	तेलंगाना	125.80	132.00	138.80	--	--	--	442.00#	--	50.00
25.	त्रिपुरा	15.80	16.80	17.60	7.10	7.10#	--	--	--	---
26.	उत्तर प्रदेश	541.40	568.40	597.00	589.60#	629.40#	447.80	235.10	--	--
27.	उत्तराखंड	218.60	229.60	241.00	98.40	305.00#	217.00	113.90	--	12.64
28.	पश्चिम बंगाल	283.20	297.40	312.00	106.20	329.20#	234.00	122.90	150.00	--
कुल		**6086.20**	**6391.40**	**6710.40**	**3500.00**	**4253.50**	**4884.25**	**7571.30**	**719.72**	**435.59**

#। पिछले वर्ष के लिए एसडीआरएफ का बकाया शामिल है   * 2024-25 से पहले एनडीएमएफ से कोई फंड जारी नहीं किया गया।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

<u>अनुबंध- **IV**</u>

<u>अनुमोदित आरआरसी की सूची</u>

एनडीआरएफ मुख्यालय	**अनुमोदित आरआरसी स्थान**
01 बीएन एनडीआरएफ, गुवाहाटी, असम	1. आइज़वाल (मिजोरम) 2. अगरतला (त्रिपुरा)
02 बीएन एनडीआरएफ, हरिनघाटा, पश्चिम बंगाल	3. पाकयोंग, गंगटोक (सिक्किम) 4. सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) 5. कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
03 बीएन एनडीआरएफ, मुंडाली, ओडिशा	6. बालासोर (ओडिशा)
04 बीएन एनडीआरएफ, अराकोणम, तमिलनाडु	7. पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार) 8. चेन्नई (तमिलनाडु) 9. त्रिशूर/एर्नाकुलम (केरल)*
05 बीएन एनडीआरएफ, पुणे, महाराष्ट्र	10. मुंबई
06 बीएन एनडीआरएफ, वडोदरा, गुजरात	11. गांधीनगर (गुजरात) 12. नारेली (राजस्थान)
07 बीएन एनडीआरएफ, लुधियाना, पंजाब	
08 बीएन एनडीआरएफ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	13. नोएडा (उत्तर प्रदेश)
09 बीएन एनडीआरएफ, बिहटा, पटना, बिहार	14. सुपौल (बिहार) 15. रांची (झारखंड)
10 बीएन एनडीआरएफ, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	16. बैंगलोर (कर्नाटक) 17. हैदराबाद (तेलंगाना) 18. विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
11 बीएन एनडीआरएफ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	19. लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 20. गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) 21. भोपाल (मध्य प्रदेश)
12 बीएन एनडीआरएफ, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश	22. चेइचेमा (कोहिमा), नागालैंड
13 बीएन एनडीआरएफ, सांबा, जम्मू और कश्मीर	23. बडगाम (जम्मू और कश्मीर)
14 बीएन एनडीआरएफ, मंडी, हिमाचल प्रदेश	24. नूरपुर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) 25. नालागढ़, सोलन
15 बीएन एनडीआरएफ, हलद्वानी, उत्तराखंड	26. झाझरा, देहरादून (उत्तराखंड)
16 बीएन एनडीआरएफ, घुम्मनहेड़ा, दिल्ली	27. द्वारका (दिल्ली) 28. आर के पुरम (दिल्ली)

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

<u>अनुबंध- **V पृ/1**</u>

<u>टीमों का राज्यवार प्री-मानसून तैनाती विवरण</u>

राज्य	**स्वीकृत प्री-पोज़िशनिंग स्थान - 2025**	**तैनात टीमों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	1. विजयवाड़ा - 1	**01**
अरुणाचल प्रदेश	1. नामसाई - 1 2. पश्चिम कामेंग - 1	**02**
असम	1. कछार - 1 2. बोंगाईगांव - 1 3. बारपेटा - 1 4. जोरहाट - 1 5. सोनितपुर - 1 6. डिब्रूगढ़ - 2 7. शिवसागर-1 8. धेमाजी - 1	**09**
बिहार	1. दरभंगा-1 2. पूर्वी चम्पारण-1 3. सुपौल-1 4. पटना-1	**04**
गुजरात (12)	1. राजकोट - 2 2. कच्छ - 1 3. अमरेली - 1 4. भावनगर - 1 5. द्वारिका-1 6. गांधीनगर - 1 7. पाटन-1 8. पोरबंदर - 1 9. सूरत-1 10. वलसाड - 1 11. जूनागढ़ - 1	**12**
हिमाचल प्रदेश (05)	**1.** कुल्लू-1 **2.** शिमला - 1 **3.** सिरमौर-1 **4.** मण्डी-1 **5.** किन्नौर - 1	**05**
झारखंड	**1.** पूर्वी सिंहभूम-1	**01**
कर्नाटक	1. कोडुगु-1 2. दक्षिण कन्नड़-1 3. बेलगावी-1 4. रायचूर-1 5. बेंगलुरु सिटी-1 6. उत्तर कन्नड़ - 1 7. उडुपी-1	**07**
केरल	1. अलाप्पुझा - 1 2. इडुक्की - 1 3. पथानामथिट्टा - 1 4. एर्नाकुलम - 1 5. त्रिशूर - 1 6. मलप्पुरम - 1 7. कोझिकोड - 1 8. वायनाड - 1 9. कासरगोड - 1	**09**

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 392, दिनांक 03.12.2025

<u>अनुबंध- **V पृ/2**</u>

महाराष्ट्र	1. मुंबई - 03 2. कोल्हापुर - 01 3. सिंधुदुर्ग - 01 4. सांगली - 01 5. रत्नागिरी - 01 6. ठाणे - 02 7. रायगढ़ – 01 8. सतारा - 01	**11**
मध्य प्रदेश	1. भोपाल-2 2. जबलपुर-1 3. धार-1 4. ग्वालियर-1	**05**
मणिपुर	1. इंफाल - 1	**01**
नागालैंड	1. कोहिमा - 2	**02**
राजस्थान	1. भरतपुर - 1 2. उदयपुर - 1	**02**
त्रिपुरा	1. उनाकोटि - 1	**01**
तमिल नाडु	1. कोयंबटूर - 1	**01**
तेलंगाना	1. हैदराबाद - 1 2. भद्राद्रि-कोठागुडेम - 2 3. निर्मल-1 4. मुलुगु - 1 5. खम्मम-1	**06**
उत्तर प्रदेश (09)	1. बहराइच-1 2. वाराणसी-1 3. गोरखपुर-1 4. लखनऊ - 1, 5. लखीमपुर खीरी-1 6. बलिया-1 7. प्रयागराज-1 8. बरेली-1 9. फर्रुखाबाद-1	**09**
उत्तराखंड (09)	1. चमोली-2 2. उत्तरकाशी-1 3. रूद्रप्रयाग-1 4. हरिद्वार-1 5. पिथौरागढ़-1 6. नैनीताल-1 7. बागेश्वर-1 8. चंपावत-1	**09**
पश्चिम बंगाल (07)	1. पूर्ब मेदिनीपुर - 1 2. मालदा-1 3. अलीपुरद्वार - 1 4. जलपाईगुड़ी - 1 5. उत्तर 24 परगना-1 6. साउथ 24 परगना - 1 7. हुगली - 1	**07**
सिक्किम (01)	1. मंगन-1	**01**
कुल		**105**

*****